

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1068 / 2012 / अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एलाइड डोमेक स्पिरिट एण्ड वाईन्स इण्डिया प्रा०
लिमिटेड, कारेड़ा बहरोड़, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29 / 02 / 2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 136 / 71 / CST / 2006-07 / 10-11 / उपा / अपील्स / अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश के द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2001-02 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 सपटित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29, 58, 61 व 66 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 28.02.2002 को सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण व्यवहारी द्वारा बताया गया कि कम्पनी द्वारा प्रतिदिन 2000-2800 लीटर डीजल का उपयोग किया जाता है तथा प्रतिदिन 20000-22000 लीटर स्पिरिट/एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। यह भी कथन किया कि उक्त विनिर्माण में 50-55 टन ग्रेन उपयोग में लिया जाता है तथा एक टन ग्रेन से 400 लीटर स्पिरिट/एल्कोहल का उत्पादन होता है। आलौच्य अवधि वर्ष 2001-02 के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 6,91,186 लीटर डीजल का उपयोग किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के उपरोक्त कथनानुसार एक लीटर डीजल में 8.75 लीटर



लगातार.....2

स्पिट/एल्कोहल का निर्माण होता है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने 7 लीटर स्पिट/एल्कोहल के विनिर्माण में प्रति लीटर डीजल की खपत अवधारित हुए आलौच्य अवधि में व्यवहारी द्वारा दर्शायी गयी बिक्री को कम मानते हुए, कुल रूपये 42,50,000/- की उचन्ति बिक्री किया जाना अवधारित करते हुए, 20 प्रतिशत की दर से कर रूपये 8,50,000/-, सरचार्ज रूपये 1,27,500/-, ब्याज रूपये 7,23,424/- एवं शास्ति रूपये 19,55,000/- का आरोपण आदेश दिनांक 31.03.2006 अन्तर्गत केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपटित अधिनियम की धारा 29, 58, 61 65 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2011 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण व्यवहारी द्वारा यह तथ्य बताया गया था कि कम्पनी द्वारा प्रतिदिन 2000-2800 लीटर डीजल का उपयोग किया जाता है तथा प्रतिदिन 20000-22000 लीटर एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। यह भी कथन किया कि उक्त विनिर्माण में 50-55 टन ग्रेन उपयोग में लिया जाता है तथा एक टन ग्रेन से 400 लीटर एल्कोहल का उत्पादन होता है। यह तथ्य निर्विवादित है कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 6,91,186 लीटर डीजल का उपयोग किया गया। उक्त आधार पर गणना के अनुसार आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 48,38,302 लीटर स्पिट/एल्कोहल का निर्माण किया गया है एवं तदनुसार ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचित बिक्री अवधारित की जाकर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को विवेचित किये बिना, कर निर्धारण आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही बिना किसी ठोस प्रमाण/साक्ष्यों के निष्पादित की गयी है। केवल अनुमानों के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचित बिक्री अवधारित करते हुए कर, सरचार्ज, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। करापवंचित बिक्री को प्रमाणित किये बगैर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :-




लगातार.....3

- (1) 1978 ई.एल.टी. (जे-172) (एस.सी.) अवध शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया
- (2) (1970) 25 एस.टी.सी. 497 (केरल) सेंट थेरेसाज़ ऑयल मिल्स बनाम स्टेट ऑफ केरला
- (3) (1969) 24 एस.टी.सी. 90 (आंध्रप्रदेश) एन. राजा पुल्लया बनाम डिप्टी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, करनूल व अन्य

5. उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही केवल अनुमान के आधार पर सम्पूरित की गयी है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन के उद्देश्य से की गयी बिक्री के सम्बन्ध में किसी प्रकार की ना तो कोई जांच किया जाना पत्रावली से स्पष्ट है एवं ना ही रेकॉर्ड पर कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचित बिक्री की गयी हो। केवल डीजल के उपयोग के आधार पर उत्पादन को अनुमानित किया जाकर करापवंचन के उद्देश्य से बिक्री किया जाना अंकित कर दिये जाने मात्र के आधार पर यह अवधारित नहीं किया जा सकता कि व्यवहारी द्वारा करापवंचित बिक्री की गयी है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि करापवंचित बिक्री प्रमाणित किये बगैर, अनुमान के आधार पर करापवंचित बिक्री अवधारित करते हुए, किया गया करारोपण पौषणीय नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2015) 77 वी.एस.टी. 188 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"Held, allowing the petition, that no material was available on record to show that any enquiry was made through the vehicle owners or any material was confronted to the dealer. Further, in the absence thereof, fastening of liability on the petitioners in the facts and circumstances was uncalled for. Further, the Department had failed to prima facie demonstrate with reference to any material on record that there existed some nexus of the dealer to remove the



लगातार.....4


goods in question without payment of tax in accordance with law. The factum of the dealer being exempted until till November 3, 1998 was not disputed. The orders under challenge were not legally sustainable."

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1973) (P-191) 87 आई.टी.आर. 349 (एस.सी.) एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 03 टैक्स अपडेट 49 में भी इसी प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अनुमान के आधार पर करापवंचित बिक्री अवधारित करते हुए करारोपण की कार्यवाही नहीं की जा सकती।


9. उपरोक्त विवेचन, प्रकरण के तथ्यों तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में, अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से अस्वीकार की जाने योग्य पायी जाती है।

10. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।



(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य



(मनोहर पुरी)
सदस्य